छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 23 जुलाई, 2009 (श्रावण 1,1931)

समय 11:00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

श्री सुखीराम, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में मॉल एवं कॉम्पलेक्स निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री कुलदीप सिंह जुनेजा, सदस्य, राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी क्षेत्र में अंडर ब्रिज निर्माण में तकनीकी त्रुटि होने से पानी भर जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री सेवकराम नेताम, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 5 सन् 2009) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री, छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 6 सन् 2009) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

6. वर्ष 2009-2010 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

दिनांक 31 मार्च,2010 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1,3,5,6, 7,8,9,11,12, 13,15,16,19,20, 21,24,27,28,29,30,31,36,38, 39, 41, 42, 43,45, 46, 47, 53, 55, 56, 64, 66, 67, 68, 69, 75, 79, 80, 81, 82 एवं 83 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **एक हजार, तीन सौ चवालीस करोड़, पांच लाख, चौवन हजार, सात सौ रुपये** की अनुपूरक राशि दी जाये.

3 घंटे

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक,2009 (क्रमांक- 8 सन् 2009) का पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

8. नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट (1) रायपुर राजधानी सहित प्रदेश में उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के मापदण्डों का पालन न करने के कारण पर्यावरण प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति की ओर सर्वश्री देवजी पटेल, गुरु रूद्रकुमार, रविन्द्र चौबे, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

1 घंटा 30 मिनट (2) प्रदेश में अल्पवर्षा से उत्पन्न स्थिति की ओर श्री नंद कुमार पटेल, श्रीमती लक्ष्मी बघेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

रायपुर
दिनांक 22 जुलाई, 2009

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.